राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1196/2016/चित्तौड़गढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–चित्तौड़गढ़ .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हमारा पम्प,
कंथार, प्रतापगढ़ .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 102/वैट/2014–15/चित्तौड़गढ़ में पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–प्रतापगढ़ (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2011 को अपास्त कर अपील स्वीकार की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पैट्रोलियम कम्पनी के कार्य के साथ रिटेल आउटलेट के कार्य के लिये कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लिया गया था एवं कम्पोजिशन स्कीम, 2006 के अनुसार कर जमा करा दिया था परन्तु देय प्रशमन फीस निर्धारित समय में जमा नहीं करवाई गई थी एवं योजना की शर्त संख्या 5.04(2) के अनुसार दिनांक 31 मार्च के पूर्व विलम्ब शुल्क सहित देय राशि जमा नहीं करवाई गई थी। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को स्कीम से बाहर करते हुये पूरे टर्नओवर पर करारोपण कर दिया था, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय आदेश दिनांक 14.09.2015 से यह अवधारित किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक F-12(59)FD/Tax/2014-80 दिनांक 30.07.2014 द्वारा Composition Scheme में संशोधन किया गया है अतः उस अनुसार लाभ दिया जाने का निर्देश देते हुये अपील स्वीकार की गई थी।

3. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया एवं अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील Time Barred बताया एवं अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

6. जहां तक अपील समयावधि के बाद प्रस्तुत करने का प्रश्न है उसमें यह निर्णय किया जाता है कि अपील विलम्ब से पेश करने के लिये विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधारों एवं विलम्ब अल्प समय का होने से आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं प्रत्यर्थी की आपत्ति खारिज की जाती है।

7. प्रकरण में अपीलीय आदेश के अंतिम पैरा के अवलोकन यह निष्कर्ष प्राप्त होता है प्रत्यर्थी व्यवहारी के संबंध में अपील सुनवाई के पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.07.2014 जारी कर दी गई थी एवं उस अधिसूचना के आलोक में अपीलार्थी को कम्पोजिशन योजना का लाभ दिया जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है फलतः अपीलीय आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते है। यदि पूर्व में अपीलीय आदेश के निर्देशों की पालना कर दी गई है तब स्वतः ही यह आदेश सारहीन होगा।

8. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन) 29/5/2017
सदस्य